



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298]
No. 298]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 1983/आषाढ़ 14, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 1983/ASADHA 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1983

का०आ० 494(अ).—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1981 के पृष्ठ 159-161 पर प्रकाशित भारत सरकार में तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 51(अ) दिनांक 24 जनवरी, 1981 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

सलाहकार समिति :

1. केन्द्रीय श्रम तथा पुनर्वास मंत्री —अध्यक्ष
2. श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री —उपाध्यक्ष

3. सचिव, श्रम विभाग —सदस्य पदेन
4. संयुक्त सचिव (श्रम विभाग के महिला कक्ष के प्रभारी) —यथोक्त—
5. सलाहकार, श्रम तथा रोजगार प्रभाग, योजना आयोग —यथोक्त—
6. श्री बी० बी० सिंह, अध्यक्ष —गैर-सरकारी सदस्य भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, बैंक आफ बडौदा बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली—110001
7. श्री एस० पी० विद्यार्थी, —गैर-सरकारी सदस्य मैसर्स हिडन रिवर मिल्स, दासना, गाजियाबाद—201001
8. श्री के० एन० सिरियर, सलाहकार —यथोक्त— इंडियन टी एसोसिएशन, रायल एक्सचेंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—700001.